30/3/21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादी का सही नाम महेश कुमार जांगिड पुत्र मूलाराम जांगिड है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन वादी के बचपन का नाम सुरेश पुत्र मूला दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में अपने ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक अंकतालिकाएं एवं ग्राम पंचायत राजपुरा का प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी का नाम महेश कुमार जांगिड पुत्र मूलाराम जांगिड है, एवं बतौर साक्ष्य गवाहान गोविन्दराम पुत्र भगवान सहाय सैनी एवं सह खातेदारान महावीर पुत्र मूला, जगदीश पुत्र मूला के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं गवाहान गोविन्दराम पुत्र भगवान सहाय सैनी एवं सह खातेदारान महावीर पुत्र मूला, जगदीश पुत्र मूला के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरेश पुत्र मूला अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम महेश कुमार जांगिड पुत्र मूलाराम जांगिड है की पुष्टि वादी के ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक अंकतालिकाएं एवं ग्राम पंचायत राजपुरा का प्रमाण पत्र की प्रतियों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य गवाहान गोविन्दराम पुत्र भगवान सहाय सैनी एवं सह खातेदारान महावीर पुत्र मूला, जगदीश पुत्र मूला के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
[illegible]

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम धांधेला पटवार हल्का राजपुरा तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 203 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम **सुरेश पुत्र मूला** के स्थान पर **महेश कुमार जांगिड पुत्र मूलाराम जांगिड** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner